(71) (71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1660–दो/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–10–2008 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक निगरानी 813/अ–6/2007–08

1–बाबू तनय गनेशा धोबी
निवासी ग्राम खैरी
2–हीरालाल पुत्र हल्के पटेल
3–रामकिशन पुत्र हल्के पटेल
निवासीगण ग्राम पहाडी हीरा जू तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

खिल्ला तनय पुन्ना धोबी
सा.खैरी तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक आवेदकगण
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/5/11 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक कमांक एक बाबू एवं अनावेदक खिल्ला एक परिवार के सदस्य है अर्थात् आवेदक बाबू का दादा बसोरा एवं अनावेदक खिल्ला का पिता पुन्ना आपस में सगे भाई थे । विवादित भूमि यद्यपि राजस्व अभिलेख में एकाकी रूप से अनावेदक खिल्ला के नाम दर्ज थी परन्तु इस

भूमि में आवेदक बाबू एवं अनावेदक खिल्ला का पारिवारिक रूप से बराबर का हक हिस्सा एवं कब्जा दखल सदैव से चला आ रहा था । वर्ष 1994 में अनावेदक की सहमति एवं रजामंदी के आधार पर पंजी कमांक 53 वर्ष 1993–94 में पारित किये गये आदेश दिनांक 11–8–1994 के जरिये प्रश्नाधीन भूमि अर्थात मौजा खैरी स्थित भूमि खसरा नम्बर 698, 699 कुल रकवा 2.108 हेक्टर का हिस्सा 1/2 का विधिवत् नामान्तरण आवेदक के नाम स्वीकृत किया गया, तब से आवेदक कमांक 1, अनावेदक की पूर्ण जानकारी में विवादित भूमि का 1/2 हक हिस्सा का भूमिस्वामी एवं सहखातेदार चला आ रहा है । आवेदक कमांक 1 ने अपनी भूमि आवेदक कमांक 2 व 3 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से बेच दी । जिससे अनावेदक ने निराधार तथ्यों के साथ अवधि बाह्य अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की । अवधि बाह्य के प्रश्न पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 32/अपील/2006–07 दर्ज कर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 21–08–07 से विलम्ब माफ करने का आदेश दिया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–07 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 30/निगरानी/07–08 पर दर्ज करते हुये विचाराधीन पारित आदेश 17–1–08 के जरिये निगरानी स्वीकार करते हुये म्याद माफी बावत् दिया गया आदेश निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया । अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–08 से दुखित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 813/अ–6/2007–08 पर दर्ज होकर विचाराधीन पारित आदेश 27–10–2008 से निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 17–1–08 एवं नायब तहसीलदार बसारी द्वारा पारित आदेश 11–8–1994 विधि एवं प्रकिया रहित होने के कारण निरस्त किया व अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–2007 विधिसंगत होने से स्थिर रखा । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित

आदेश दिनांक 27–10–08 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी मात्र म्याद माफी के संबंध में प्रस्तुत हुई थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने म्याद माफी के प्रश्न के स्थान पर प्रकरण में गुणदोष पर आदेश पारित करने में विधि संबंधी सारवान भूल की है । विवादित भूमि का प्रश्नाधीन नामान्तरण आदेश अनावेदक की पूर्ण जानकारी एवं सहमति से पैत्रक हक हिस्से के अनुरूप पारित किया गया था और तदानुसार उसकी सहमति नामान्तरण पंजी पर विद्यमान थी । जिसके संबंध में जानकारी का अभाव दर्शाया जाकर विलम्ब क्षमा चाही गई थी जबकि उपलब्ध अभिलेख से यह निर्विवादित रूप से स्पष्ट हुआ है कि अनावेदक का म्याद माफी आवेदन मिथ्या व बनावटी एवं दुर्भावनापूर्ण है किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में विधि संबंधी भूल की है । तर्क में यह भी बताया कि इस संबंध में कलेक्टर जिला छतरपुर का आदेश सर्वथा उचित एवं विधिनुकूल था जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश को न्यायसंगत एवं विधिनुकूल बताते हुये, उक्त पारित आदेश दिनांक 27.10.2008 स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । नामान्तरण पंजी कमांक 53 पर पारित विचारण न्यायालय का आदेश प्रथमदृष्टया ही त्रुटिपूर्ण दिखलाई पड़ता है जिसके संबंध में अपर आयुक्त का निष्कर्ष कि बिना वैध अंतरण के किसी अन्य का अन्तरण नहीं किया जा सकता है, उचित है । इस प्रकरण में प्रथमदृष्टया ही बिना स्वत्व को देखे

किसी अन्य के नाम नामान्तरण की कार्यवाही सन्देहास्पद प्रतीत होती है ऐसे में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समयसीमा का लाभ देकर अपील को गुणदोष पर निराकरण करने का निर्णय सही है । आवेदक की यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है कि अपर आयुक्त ने गुण दोष पर निराकरण कर दियाहै तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि अभी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण दोष पर उनके समक्ष अपील का निराकरण होना है ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर